

2. इस अपील के संबंध में निर्धारिती द्वारा लिखित निवेदन दिनांक 08.04.2025 दाखिल किया गया है जिसमें निवेदन किया गया है कि निर्धारिती ने "प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024" के अधीन आवेदन किया है तथा फार्म सं. 1 के द्वारा आयकर विभाग को प्रस्तुत किया है। विभाग द्वारा निर्धारिती को फार्म सं. 4 जारी किया गया है। निर्धारिती द्वारा फार्म सं. 4 की प्रति भी दाखिल की गई हैं। अतः निर्धारिती वर्तमान अपील का अनुसरण करने का इच्छुक नहीं है। निर्धारिती ने उपरोक्त कारण से वर्तमान अपील को वापिस लेने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया। विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने इस अनुरोध का विरोध नहीं किया है। अतः हम इस अपील को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करते हैं तथा इसे वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं।

3. यद्यपि, निर्धारिती विधि के अनुसार, विनिहित अवधि के अंदर आदेश को वापिस बुलाने (recall) हेतु विविध आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा यदि उसका इस योजना में भाग लेने हेतु किया गया आवेदन राजस्व द्वारा किसी कारण से अस्वीकृत किया जाता है।

4. परिणामतः, निर्धारिती की अपील वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है।

यह आदेश 23.04.2025 को खुले न्यायालय में उद्घोषित।

हस्ता/-
(बी.एम.बियाणी)
लेखा सदस्य

हस्ता/-
(परेश एम.जोशी)
न्यायिक सदस्य

दिनांक : 23.04.2025

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फाईल